VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

Mains 365

स्मरणीय तथ्य

सामाजिक मुद्दे

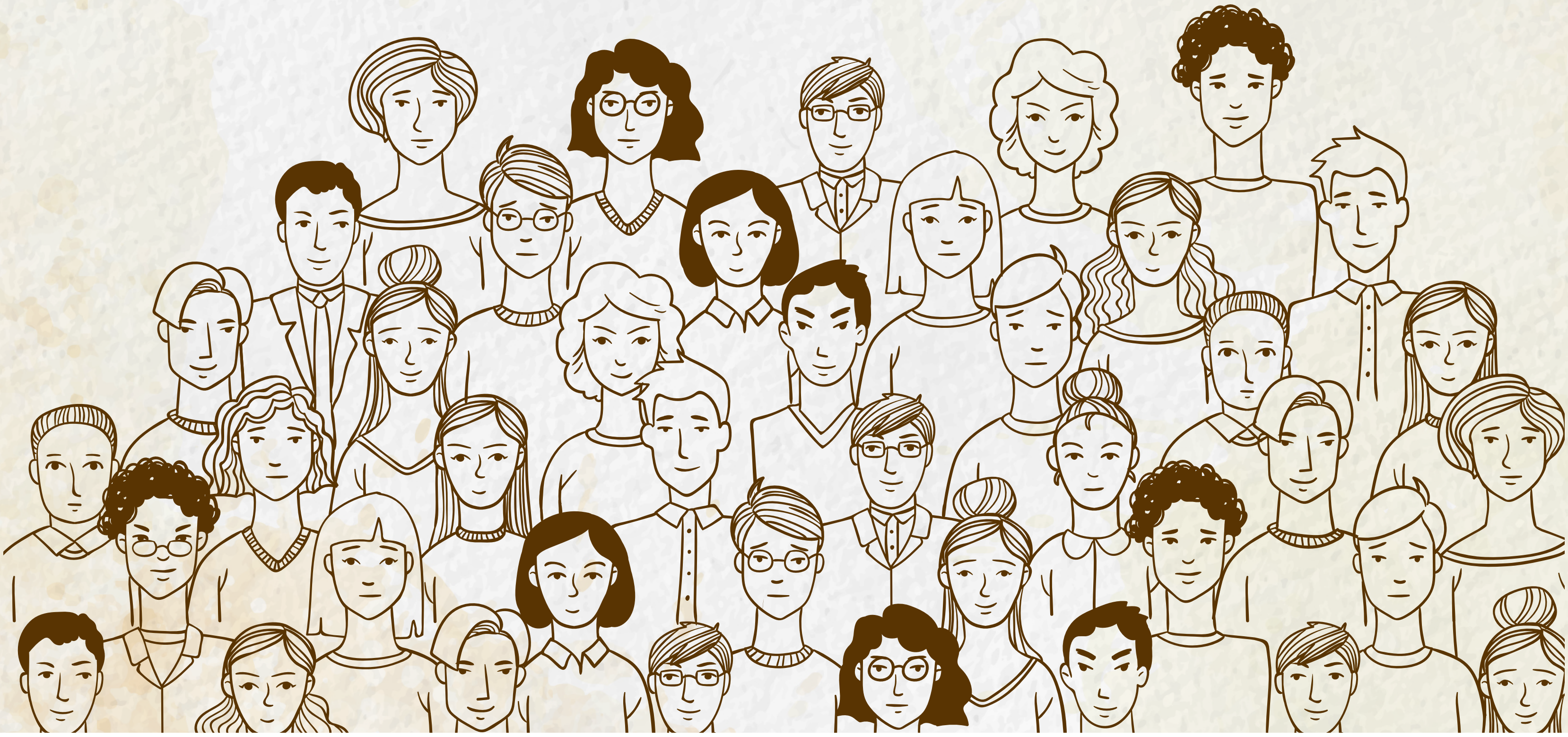

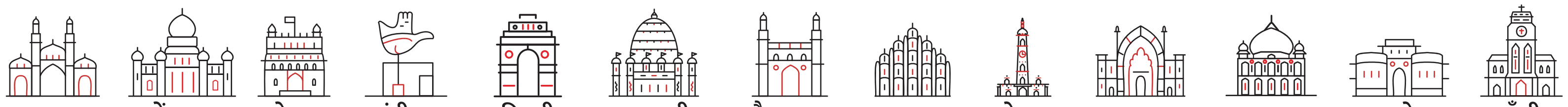

ABHYAAS MAINS 2024

ALL INDIA MAINS

(GS + ESSAY + OPTIONAL)

MOCK TEST (OFFLINE)

OFFLINE IN 40+ CITIES

PAPER DATES

GS-I & II	GS-III & IV	ESSAY	OPTIONAL-I & II
24 AUG	25 AUG	31 AUG	1 SEPT

OPTIONAL SUBJECTS: ANTHROPOLOGY | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY | MATHS | PHILOSOPHY | PHYSICS | POLITICAL SCIENCE | PUBLIC ADMINISTRATION | SOCIOLOGY

- All India Percentile
- Comprehensive Evaluation
- Concrete Feedback & Corrective Measures
- Complete coverage of UPSC Mains syllabus
- Available in English/Hindi
- Live Test Discussion

Scan to Know More and Register

Register at: www.visionias.in/abhyaas

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR (MP) COIMBATORE | DEHRADUN | DELHI - KAROL BAGH | DELHI - MUKHERJEE NAGAR | GHAZIABAD | GORAKHPUR GURUGRAM | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOCHI KOLKATA | KOTA | LUCKNOW | LUDHIANA | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA | ORAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE RAIPUR RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA VISAKHAPATNAM

विषय-सूची

1. महिलाएं 4
2. बच्चे 5
3. अन्य सुभेद्य समूह 6
4. शिक्षा 8
5. स्वास्थ्य देखभाल 9
6. पोषण. 10
7. गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे 10

प्रिय अभ्यर्थियों,

UPSC मुख्य परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में आपके उत्तरों में डेटा, तथ्यों और उदाहरणों को शामिल करने के महत्त्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है।

ये तत्व एक आकर्षक और प्रेरक अनुक्रिया के आधार के रूप में काम करते हैं, जो आपके उत्तर को एक सामान्य लेखन से एक बेहतर तरीके से प्रमाणित तर्क की ओर ले जाते हैं।

आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS मेन्स 365 पठन सामग्री से सार रूप में डेटा, तथ्यों और उदाहरणों का संकलन तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है VisionIAS मेन्स 365 पठन सामग्री करंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है। यह दस्तावेज़ उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा, तथ्यों और उदाहरणों का एक केंद्रित स्रोत प्रदान करता है।

इस दस्तावेज़ का लेआउट आपके उत्तर में क्विक रेफ्रेन्स और तथ्यों आदि के आसान समेकन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस सार रूपी जानकारी का लाभ उठाने से आपको अधिक अंक प्राप्त करने के लिए जरूरी व्यापक, सूचनात्मक और आकर्षक उत्तर तैयार करने में मदद मिलेगी।

मेन्स 365 डाक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

स्मार्ट क्वालिटी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

महिलाएं

विवाह

भारत में विवाहों को नियंत्रित करने वाले कानून

- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954
- विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

लिव-इन रिलेशनशिप

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य (2018) वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत लिव-इन-पार्टनर को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदान की गई राहत से अधिक राहत प्रदान की जाएगी।
- **इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा वाद (2013):** इस मामले में न्यायालय ने कहा कि, यदि दो अविवाहित पार्टनर्स आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह अवैध नही है।

कार्यस्थल पर महिलाएं

- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** के आंकड़ों के अनुसार**, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3% थी, जो 2022-2023 में बढ़कर 37.0% हो गई।**
- **वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, 2022** के अनुसार, भारत में पुरुष, श्रम आय का 82% अर्जित करते हैं और महिलाएं **केवल 18% अर्जित करती हैं।**
- **भारत में 13.76% उद्यमी महिलाएं हैं (नीति आयोग)।**
- **भारत में GDP में महिलाओं का योगदान 17% है,** जो वैश्विक औसत 37% से काफी कम है।
- मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने से भारत की वार्षिक जी.डी.पी. में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- **महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने से संबंधित कानून:** कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम (2017), उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 आदि।
- **योजनाएं/ पहलें:** महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय क्रेच योजना, SDG-5 (लैंगिक समानता)।

मासिक धर्म स्वच्छता

- **15-24 वर्ष आयु वर्ग की केवल 78 प्रतिशत महिलाएं हाइजेनिक मासिक धर्म प्रोटेक्शन का उपयोग करती हैं।**
- **वर्ष 2014 में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार,** मासिक धर्म संबंधी पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण प्रति वर्ष 23 मिलियन से अधिक लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं।

STEM में महिलाएं

- **वैश्विक स्तर पर STEM कार्यबल: ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, STEM आधारित नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 29.2% ही है जबकि गैर-STEM आधारित नौकरियों में उनकी भागीदारी 49.3% है।**
- **भारत में STEM स्नातक: विश्व बैंक के अनुसार, भारत में 42.6% महिलाएं STEM में स्नातक हैं लेकिन STEM आधारित नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 29.2% है।**
- **पहलें:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) नीति, 2013; विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (WISE-KIRAN); गति/ GATI (जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस) प्रोग्राम आदि।

देखभाल अर्थव्यवस्था (पर्पल इकोनॉमी)

- **GDP का केवल 1%** देखभाल अर्थव्यवस्था पर खर्च होता है।
- वैश्विक स्तर पर, **249 मिलियन महिलाएं और 132 मिलियन पुरुष देखभाल अर्थव्यवस्था में संलग्न हैं।**
- वैश्विक स्तर पर **76.2% अवैतनिक केयर वर्क महिलाओं द्वारा किया जाता है।**

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले

- 2021 की तुलना में **2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि हुई।**
- दहेज निषेध अधिनियम के तहत **13,479 मामले** दर्ज किए गए।
- **कानूनी प्रावधान:** स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 आदि।
- **योजनाएं:** फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, निर्भया फंड, वन स्टॉप सेंटर, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (She-Box), मिशन शक्ति-संबल और सामर्थ्य आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उपाय:** महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CEDAW, 1979); महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र (1993)।

बच्चे

बाल विवाह

- 1993 में लड़कियों के बाल विवाह का प्रतिशत 49.4 था, जो **2021 में घटकर 22.3% हो गया (लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट-2023)**।
- **5 में से 1 लड़की और 6 में से 1 लड़के की शादी अभी भी विवाह की कानूनी उम्र से कम उम्र में होती है।**
- बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र (घटते क्रम में) में लड़कियों के बाल विवाह का 50% से अधिक हिस्सा है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG) 5.3 का उद्देश्य 2030 तक लड़कियों में बाल विवाह का पूर्ण उन्मूलन करना है।**
- **क़ानूनी प्रावधान:** बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012; बाल विवाह निषेध संशोधन (PCMA) विधेयक, 2021 आदि।
- **जया जेटली समिति (2020)** ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को **18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष (पुरुषों के बराबर) करने की सिफारिश की थी।**

बाल श्रम

- दुनिया भर में हर 10 में से 1 बच्चा बाल श्रम में लगा हुआ है (यूनिसेफ)।
- भारत में 10.1 मिलियन बच्चे (1.1 करोड़) बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। (जनगणना, 2011)
- 80% बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- 62.8% बाल श्रमिक संकट वाले या खतरनाक कार्य में संलग्न हैं।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 24:** चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय/ जोखिम भरे नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
  - **अनुच्छेद 23:** यह अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम (बलात् श्रम) का निषेध करता है।
  - **अनुच्छेद 39 (e):** यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो।

- **कानूनी प्रावधान**
  - बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
  - बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
  - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना
  - बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
  - किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
- **बाल श्रम की रोकथाम के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम**
  - राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987
  - राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) स्कीम, 1988 (2021 से समग्र शिक्षा अभियान में विलय)
  - पेंसिल/ PENCiL (प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) पोर्टल
- **वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम:**
  - **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र, 1959**
  - **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC), 1989**
  - सतत विकास लक्ष्य-8.7 **(2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन करने का लक्ष्य)**

अन्य सुभेद्य समूह

देशज लोग

संवैधानिक उपाय

- **अनुच्छेद 342:** अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिसूचना
- **अनुसूची V और VI (अनुच्छेद 244)**
- **अनुच्छेद 275:** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान
- **अनुच्छेद 338A:** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

विधायी उपाय

- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

सरकारी योजनाएं

- जनजातीय विकास के लिए पंचशील सिद्धांत
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
- प्रधान मंत्री वनबंधु विकास योजना
- प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY)
- प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

PVTGs

- **PVTGs की पहचान के लिए मापदंड**
  - कृषि-पूर्व (Pre-agriculture) युग का प्रौद्योगिकी स्तर
  - साक्षरता का निम्न स्तर

- » आर्थिक पिछड़ापन
- » घटती हुई या स्थिर आबादी
- वर्तमान में, **18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 75 PVTGs हैं।**
- भारत के **ओडिशा राज्य** में PVTGs की संख्या सर्वाधिक (13) है।

ट्रांसजेंडर

- **NALSA बनाम भारत संघ वाद (2014):** ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई।
- **के.एस. पुट्टास्वामी (2017):** सेक्सुअल ओरिएंटेशन को गोपनीयता के अधिकार के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई।
- **नवतेज जौहर (2018):** समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।
- **दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (2022):** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित या क्वीर संबंधों के माध्यम से बने परिवारों को मान्यता प्रदान की। इसके अलावा, कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत असामान्य परिवारों (Atypical families) को भी कानून के संरक्षण का हकदार माना है।
- सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने **सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ** वाद में सर्वसम्मति से समलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया।
- **अन्य प्रावधान: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद, गरिमा गृह, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल आदि।**

वरिष्ठ नागरिक

- भारत में वरिष्ठ नागरिक उन्हें कहा जाता है, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। वरिष्ठ नागरिकों की आबादी वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या के **10% से थोड़ा अधिक है।**
- **78%** वृद्ध आबादी **बिना पेंशन कवर** के जीवन व्यतीत करती है।
- वर्तमान में **केवल 18%** वरिष्ठ नागरिक ही **स्वास्थ्य बीमा** के तहत कवर किए गए हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 41:** राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता आदि की दशाओं में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा।
- **भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची:** राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 9 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20, 23 व 24 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा तथा आर्थिक और सामाजिक नियोजन से संबंधित है।

अन्य उपाय

- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007,** वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPOP), सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा: सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पहल, सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक पुनः रोजगार (SACRED) पोर्टल, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), आदि।

दिव्यांगजन (PwD)

- कुल आबादी में दिव्यांगजनों का हिस्सा **2.21%** है। (जनगणना, 2011)
- **55% दिव्यांगजन निरक्षर हैं।**
- **पहलें:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016; सहायक यंत्रों/ उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों की सहायता **(ADIP) योजना**; दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS); दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष, सुगम्य भारत अभियान आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD), बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, इंचियोन रणनीति को अपनाना गया है।**

शिक्षा

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड (ECCE)

ECCE के लिए वैधानिक और नीतिगत फ्रेमवर्क

- **अनुच्छेद 45:** राज्य सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
- **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** इसमें प्रावधान किया गया है कि समुचित प्राधिकरण प्री-स्कूल शिक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020:** ECCE के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज (NCF-FS) के तहत 0-3 साल के आयु समूह के बच्चों हेतु एक उप-ढांचे की सिफारिश की गई।

अन्य उपाय

- **नवचेतना-** जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रेन (2024); **आधारशिला-** नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन'(2024); ICDS; पोषण भी पढ़ाई भी आदि।
- **वैश्विक प्रयास:** यूनेस्को द्वारा अर्ली चाइल्डहुड के लिए स्थापित ग्लोबल पार्टनरशिप स्ट्रेटजी (GPS), SDG-4 (सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) आदि।

स्कूली शिक्षा

- **सकल नामांकन अनुपात**
  - **प्राथमिक:** 100.13% (UDISE+)
  - **माध्यमिक:** 79.56% (UDISE+)
- **ड्रॉपआउट दर**
  - **प्राथमिक:** 1.45% (UDISE+)
  - **माध्यमिक:** 12.62% (UDISE+)
- **स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष: 6.7 वर्ष** (UNDP की वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021)
  - GDP के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर कुल व्यय में वृद्धि देखी गई है और यह **4.64%** (2020-21) है। फिर भी यह **NEP, 2020 के 6% के लक्ष्य से कम है।**
  - **14-18** वर्ष के लगभग **25% ग्रामीण युवा अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा II स्तर का पाठ धाराप्रवाह ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। (ASER, 2023)**

उच्चतर शिक्षा में NEP का कार्यान्वयन

- **सकल नामांकन अनुपात (GER): 2035** तक कम -से-कम **50%** करना।
- **प्रवेश और निकास के कई विकल्प**
- **बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERU)** स्थापित किए जाएंगे।
- **शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण**
- **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (NETF)** की स्थापना की जाएगी। यह **एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा** जहां प्रौद्योगिकी के उपयोग पर **विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान** किया जाएगा।
- **नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF)**

क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा

- **संविधान का अनुच्छेद 350A:** इसमें प्रावधान किया गया है कि सरकार भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009:** इसमें प्रावधान किया गया है कि जहां तक संभव हो बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020:** जहां तक संभव हो, कम-से-कम कक्षा 5 तक, परंतु बेहतर होगा कि कक्षा 8 तक और उससे आगे भी, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा ही हो।
- **अन्य पहलें: अनुवादिनी (AI आधारित ऐप), ई-कुंभ (e-KUMBH) पोर्टल, प्राकृतिक भाषा अनुवाद मिशन।**

स्वास्थ्य देखभाल

स्वास्थ्य देखभाल

- **स्वास्थ्य पर व्यय:** GDP का लगभग 1.35 प्रतिशत (स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय का 41.41%) (2019-20)
- **आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE):** सार्वजानिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च का 47.1%) (2019-20)
- **स्वास्थ्य बीमा कवरेज:** 41% परिवार, जिनके किसी सदस्य को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया गया है। (NFHS-5)
- **कुल प्रजनन दर (TFR):** 2.0 (NFHS-5)
- **पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में बाल मृत्यु दर (U5MR):** 41.9 (NFHS-5)
- **शिशु मृत्यु दर (IMR):** 35.2 (NFHS-5)
- **नवजात मृत्यु दर (NMR):** 24.9 (NFHS-5)
- **मातृ मृत्य दर (MMR):** 2018-20 **प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 97 (आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23)**
- **संस्थागत प्रसव:** 88.6% (NFHS-5)
- **डॉक्टर-रोगी का निम्न अनुपात:** 1:834 **(एलोपैथिक और आयुष, दोनों डॉक्टरों सहित)** (WHO द्वारा निर्धारित 1:1,000)।
- **भौगोलिक असमानता:** लगभग 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, फिर भी सार्वजनिक अस्पताल के बेड का 73% शहरी क्षेत्रों में है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)

UHC के विविध आयाम: स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं।

पहलें:

- **आयुष्मान भारत योजना:** सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए उपाय करना।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन:** यह टेलीमेडिसिन जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच में सुधार करेगा।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017:** कम कीमत पर सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना।
- **सघन मिशन इंद्र धनुष:** राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीके से वंचित रह गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान देना।

डिजिटल स्वास्थ्य

डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM):** डिजिटल हेल्थ के लिए एकीकृत फ्रेमवर्क।
- **कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (CoWIN) सिस्टम:** डिजिटल तरीके से कोविड वैक्सीन के वितरण में सहायक।
- **ई-संजीवनी:** राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा।

- **पोषण दीदी:** चैटबॉट-आधारित पोषण संबंधी काउंसलिंग।
- **निक्षय 2.0 पोर्टल:** टीबी रोगियों के लिए सामुदायिक सहायता।
- **टेली-मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट (टेली-मानस):** निःशुल्क टेलीमेंटल स्वास्थ्य सेवाएं।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

- भारत में **10.6%** वयस्क मानसिक विकार से पीड़ित हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य विकार और अन्य विभिन्न विकारों के बीच उपचार में 70% और 92% का अंतराल है। **(राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16)।**
- **मानसिक बीमारी की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम: किरण हेल्पलाइन; मानसिक स्वास्थ्य** देखभाल अधिनियम, 2017; राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम; मनोदर्पण; आदि।

प्रशामक देखभाल

- WHO के अनुसार, **56.8 मिलियन** लोगों को प्रशामक देखभाल की आवश्यकता है, जो 2060 तक दोगुनी हो जाएगी।
- भारत में, प्रशामक देखभाल की आवश्यकता वाले केवल 1-2% लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं।
- NHM के तहत प्रशामक देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPC) 2012

पोषण

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI)

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स में **125 देशों में** भारत **111वें स्थान** पर है। भारत का **GHI स्कोर 28.7 है।** इसी आधार पर **भुखमरी की गंभीरता वाले GHI पैमाने पर भारत को 'गंभीर श्रेणी' में वर्गीकृत किया गया है।**
- **दक्षिण एशिया और अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में सर्वाधिक भुखमरी** की समस्या व्याप्त है।
- **भारत में भुखमरी से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013; प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY); पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन); पोषण ट्रैकर; ईट राइट मूवमेंट; आदि।

गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे

जनसंख्या

- **भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है।**
- **संसाधनों पर दबाव:** भारत में विश्व की **17% जनसंख्या** है, जबकि इसके पास वैश्विक **भू-क्षेत्र का केवल 2.45%** और **जल संसाधनों का 4% हिस्सा** है।
- **मृत्यु दर में कमी:** शिशु मृत्यु दर 2015-16 के 40.7 से घटकर 2019-21 में 35.2 हो गई।
- **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि:** यह **1947 के 31 वर्ष से बढ़कर 2015-19 की अवधि में 69.7 वर्ष हो गई।**
- **जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय:** परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (1952)**;** राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000; **भारत परिवार नियोजन-2030 विजन डॉक्यूमेंट; आदि।**

युवाओं का विकास

- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारत **29 वर्ष की औसत आयु** के साथ दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है।
- **पहलें:** समग्र शिक्षा अभियान, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), अटल टिंकरिंग लैब (ATL), **स्टार्ट-अप इंडिया, खेलो इंडिया, आदि।**

मैनुअल स्कैवेंजिंग

- 2023 में भारत के **766 में से 714 जिलों** ने स्वयं को मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त घोषित किया।
- **संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15** (भेदभाव का अंत), **अनुच्छेद 17** (अस्पृश्यता की समाप्ति), **अनुच्छेद 21** (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) आदि।
- **क़ानूनी प्रावधान:** हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013; SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- **सफाई कर्मचारी बनाम भारत संघ वाद, 2014** में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग संविधान के अनुच्छेद 17 का घोर उल्लंघन है।
- **पहलें:** नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSKFDC),
- **अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन:** मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR); आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (ICESCR) आदि।

माइग्रेशन या प्रवासन

- **आंतरिक विस्थापन: आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) ने आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट,** 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर **75.9 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे।**
- प्रवास के प्रमुख गंतव्यों पर लगभग 80 प्रतिशत मौसमी प्रवासी मजदूरों के बच्चों को कार्यस्थल के समीप शिक्षा सुलभ नहीं होती है।
- **विवाह (81%)** महिलाओं के प्रवास का प्रमुख कारण है।
- **प्रवासी महिलाओं में से 3/4 बेरोजगार हैं, लगभग 14%** प्रवासी महिलाएं स्वरोजगार और मजदूरी वाली नौकरियों में हैं तथा **लगभग 12% कैजुअल श्रम** करती हैं। (PLFS)
- **आंतरिक प्रवासियों की बेहतरी के लिए शुरू की गई पहलें:** राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007; "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड", प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0; आयुष्मान भारत आदि जैसी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच बढ़ाना।

शहरीकरण

- **शहरी आबादी:** 36% (विश्व बैंक, 2023)
- **शहरीकरण पर भविष्य के अनुमान:** 2036 तक 40% आबादी (विश्व बैंक)
- **GDP में योगदान:** ~60% (नीति आयोग, 2022)
- शहरी झुग्गियों **में शहरी आबादी का लगभग 49% हिस्सा है।** (विश्व बैंक, 2020)
- **संधारणीय शहरीकरण के लिए की गई पहलें:** अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन आदि।

सामाजिक अलगाव और अकेलापन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा घोषित किया है। WHO ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया है, जो अकेलेपन की समस्या से निपटने के लिए कार्य करेगा।

प्रभाव

- **स्वास्थ्य जोखिम:** सामाजिक अलगाव से डिमेंशिया का खतरा **लगभग 50%, हृदय रोग का खतरा 29% और स्ट्रोक का खतरा 32%** बढ़ जाता है।
- अकेलेपन के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष अनुमानित 406 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है।

आत्महत्या

- आत्महत्या की दर बढ़कर **प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 12.4** हो गई है **-** जो भारत में अब तक की सबसे ज़्यादा दर है।
- लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में महिलाओं और लड़कियों के संबंध में आत्महत्या की दर वैश्विक औसत से दोगुनी है।**
- **18-45 वर्ष आयु वर्ग आत्महत्या के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है।** 2021 में आत्महत्या के लगभग 2/3 मामले इसी वर्ग से संबंधित थे।

आत्महत्या की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम

- **कानूनी फ्रेमवर्क:** भारतीय न्याय संहिता (2023) में आत्महत्या के प्रयास का गैर-अपराधीकरण और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 ।
- **नीतियां और कार्यक्रम: राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022);** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014); **राष्ट्रीय पैलिएटिव देखभाल कार्यक्रम;** केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (MoE) **द्वारा जारी किए गए उम्मीद (UMMEED) दिशा-निर्देश; मनोदर्पण; किरण हेल्पलाइन आदि।**

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

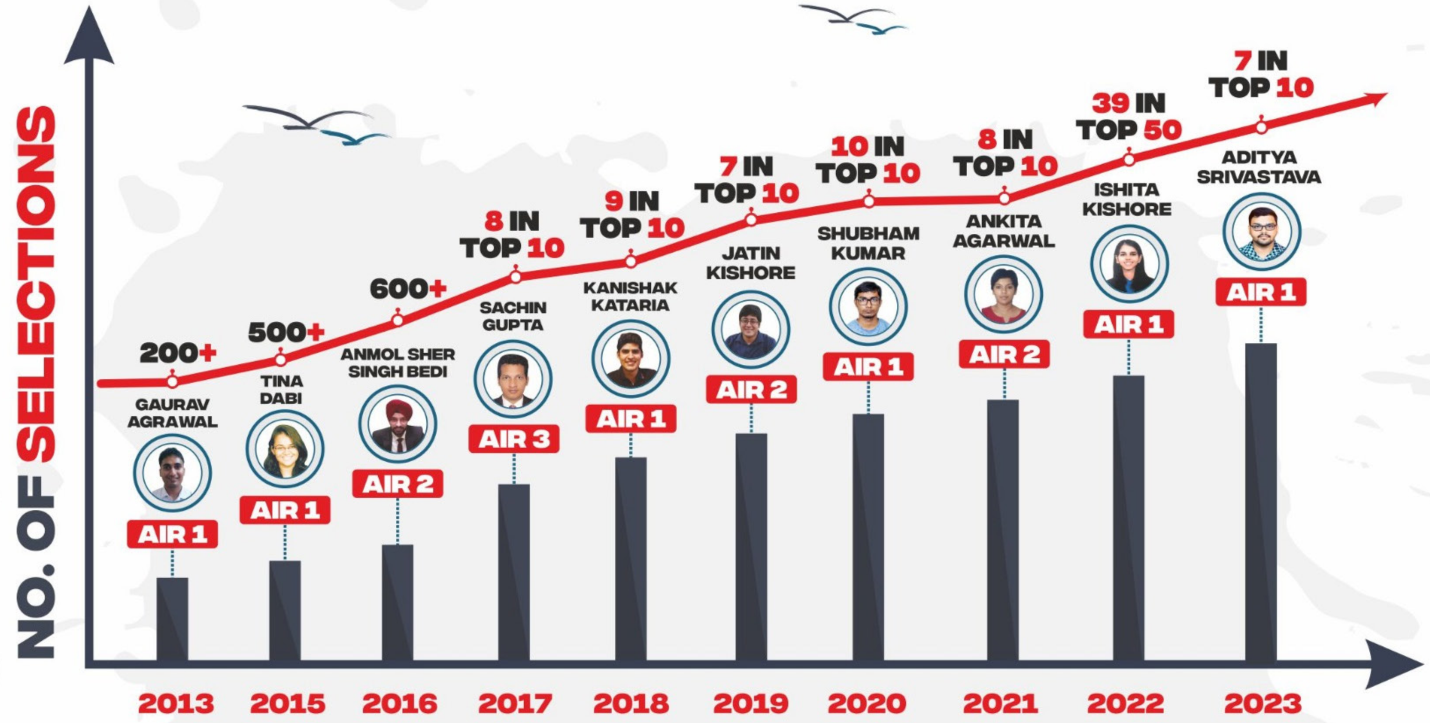

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 12 AUG, 9 AM | 14 AUG, 1 PM | 17 AUG, 5 PM
29 JULY, 1 PM | 30 JULY, 9 AM | 31 JULY, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
19 JULY, 8:30 AM | 23 JULY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 AUG | **BENGALURU:** 12 & 18 JULY | **BHOPAL:** 18 JULY | **CHANDIGARH:** 18 JULY
HYDERABAD: 12 AUG | **JAIPUR:** 6 AUG | **JODHPUR:** 11 JULY | **LUCKNOW:** 17 JULY | **PUNE:** 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM | **BHOPAL:** 23 जुलाई | **LUCKNOW:** 18 जुलाई | **JAIPUR:** 16 अगस्त | **JODHPUR:** 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Aditya Srivastava

2 AIR
Animesh Pradhan

5 AIR
Ruhani

6 AIR
Srishti Dabas

7 AIR
Anmol Rathore

9 AIR
Nausheen

10 AIR
Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

53 AIR
मोहन लाल

136 AIR
अर्पित कुमार

238 AIR
विपिन दुबे

257 AIR
मनीषा धार्वे

313 AIR
मयंक दुबे

517 AIR
देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

53 AIR
मोहन लाल
TOPPERS' TALK

136 AIR
अर्पित कुमार
TOPPERS' TALK

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
DELHI
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visionias hindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची